अध्याय-23
व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित प्रयास

पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ.प्र.सं.) की स्थापनाछ नामक केन्द्र प्रवर्तित योजनाः-

23.1 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय अभिनिर्धारित कौशल क्षेत्रों में युवाओं के प्रशिक्षण हेतु मूलभूत ढांचे का सृजन व विकास करके उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्व-रोजगार आदि की कुशल तथा अर्द्वकुशल जनशक्ति की गुणात्मक व मात्रात्मक आवश्यकता पूरी करने के मुख्य उद्देश्य से च्पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापनाछ नामक केन्द्र प्रवर्तित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना में 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना/पूर्वोत्तर क्षेत्र में 35 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन की पूर्णता पर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीट क्षमता विद्यमान 7244 से बढ़कर 16144 हो जाएगी। योजना पूर्वात्तर क्षेत्र से प्रायोजित अभ्यर्थियों/संकाय के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।

23.2 केन्द्र प्रवर्तित योजना का कुल परिव्यय 100 करोड़ रू.. है। योजना को अब जम्मू एवं कश्मीर पर अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजना परियोजना के साथ विलयित कर दिया गया है तथा कार्यान्वयन की अंतिम तिथि 31.03.2007 तक बढ़ा दी गई है।

23.3 परियोजना के तहत् प्रगति का जहां तक प्रश्न है, सिविल कार्यों, उपकरणों की अधिप्राप्ति, आवर्ती व्यय तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तकनीकी सहायता घटकों हेतु अनुमोदित कुल 82.36 करोड़ रू . की राशि में से पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम को 58.73 करोड़ रू . की राशि जारी की गई है। वस्तुपरक प्रगति के अर्थों मे, 10 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सीएसएस के तहत् शामिल किए गए विद्यमान 21 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ताजा सृजित किए गए मूलभूल ढांचे में पाठ्यक्रम पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं।

23.4 श्रीनगर एवं जम्मू के दो प्रमुख शहरों में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ वर्ष 1958 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना आरंभ की गई है। इस समय, राज्य में 37 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। अतएव, राज्य में सीटीएस का विकास देश के शेष हिस्सों के विकास से पीछे रहा है। विगत वर्षों के दौरान, राज्य की कठिन स्थिति से प्रणाली को गहरी चोट पहुँची है। निम्न क्षेत्र-वार वितरण के साथ राज्य में कुल 37 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं।

कश्मीर प्रभाग	17
जम्मू प्रभाग	18
लदाख क्षेत्र	02

23.5 21 एन सी वी टी नामोदिष्ट व्यवसायों, 18 इंजीनियरी व्यवसायों तथा शेष गैर इंजीनियरी व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 263 व्यवसाय ईकाइयाँ कार्य कर रही हैं। समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल सीट क्षमता योजना के कार्यान्वयन के उपरांत 4364 से बढकर 6200 हो जाएगी। योजना हेतु कुल परिव्यय 10वीं योजनावधि के दौरान 37.00 करोड़ रू.है।

23.6 विलयित योजना 100% केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजना स्कीम होगी जिसे 10वीं योजनावधि (31.0.2007 तक) के दौरान प्रदान की गई योजना निधियों में से अंतिम रू प दिया जाना है। 10वीं योजना के दौरान योजना के तहत् 100% आवर्त्ती लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा 11वीं योजना के दौरान संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दी जाएंगी।

23.7 वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण हेतु 5 करोड़ रू . का बजटीय प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त प्रावधान में से, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 6 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण तथा 6 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विकास/परिवर्तन हेतु प्रथम किस्त के रू प में 3.62 करोड़ रू पए की राशि जारी की गई है। 1.37 करोड़ रू .की अन्य राशि नए एवं विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मशीनरी/उपकरणों की अधिप्राप्ति तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्य निदेशालय हेतु वाहन/कार्यालय उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु प्रथम किस्त के रू प में जारी की गई है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उत्कृष्ट केन्द्रों के रू प में उन्नयन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना

23.8 केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2004-2005 में देश में 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु उपायों की घोषणा की है। तदनुरू,प वित्त मंत्रालय के परामर्श के अनुरू,प 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का घरेलू संसाधनों तथा 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विश्व बैंक सहायता के माध्यम से उन्नयन करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

23.9 घरेलू संसाधनों से वित्तपोषित किए जाने वाले इन उक्त 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (जम्मू तथा सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा) में इनमें स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या के अनुपात में बांटा गया है। योजना की कुल लागत 160 करोड़ रू. है। वित्त मंत्रालय द्वारा परामर्शित 75.25 के अनुपात के मद्देनजर केन्द्र का हिस्सा 120 करोड़ रू पए है।

23.10 योजना का उद्देश्य विश्व स्तर का बहु कौशलयुक्त कार्यबल तैयार करने हेतु विद्यमान 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चउत्कृष्ट केन्द्रोंछ के रू प में उन्नयन करना है। योजना की प्रमुख विशेषताओं में प्रथम वर्ष के दौरान बहुकौशलीय पाठयक्रमों का चलाया जाना तथा

इसके उपरांत उद्योगवार समूह दृष्टिकोण, बहु प्रवेश तथा बहु निर्गत प्रावधानों को अपनाकर द्वितीय वर्ष में उन्नत/ विशिष्ट माडयूलर पाठयक्रम तथा प्रशिक्षण के समस्त पक्षों में उद्योग की अधिक एवं सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संस्थान प्रबंधन समिति के रू प में निजी-सार्वजनिक भागीदारी शामिल है।

23.11 13 ब्राड बेस्ड प्रशिक्षण पाठयक्रमों की पाठयचर्या हेतु उन्नत माडयूल्स को पहले ही अंतिम रू प दिया जा चुका है। योजना का कार्यान्वयन सचिव(श्रम एवं नियोजन) भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य सचिवों/निदेशको, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों तथा संस्थान प्रबंधन समिति अध्यक्ष के साथ 5 क्षेत्रीय तथा दस आंचलिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करके योजना का सतत कार्यान्वयन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लक्ष्य की तुलना में 80 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाठयक्रमों को पहले ही अगस्त 2005 सत्र से आरंभ कर दिया गया है। शेष 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फरवरी/अगस्त 2006 से आरंभ होगा।

विश्व बैंक सहायता से 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

23.12 782.40 करोड़ रू की कुल अनुमानित लागत से अपेक्स हाईटेक संस्थान, बंगलौर के सबलीकरण/विकास के प्रस्ताव सहित 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक की वित्तीय सहायता हेतु बातचीत करने के लिए आर्थिक मामला विभाग, वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है। आर्थिक मामला विभाग ने सूचित किया है कि विश्व बैंक इस समय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर एक अध्ययन कर रहा है तथा इसके शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की संभावना है।